

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्रीमति गजी गुर्जर वगै

बनाम

भैरू गुर्जर वगै

किस्म मुकदमाप्रा.पत्र

212 आर.टी.एक्ट.....न.

02 सन् 2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.06.2017	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प मुकाम कासोरिया में पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजीयात ग्राम जासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 127 आराजी सख्यां 1536/140 रकबा 04-04 बीघा आराजीयात जो वर्तमान में विपक्षी के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र बहस करनी चाहने से, बहस एकपक्षीय सुनी गई।</p> <p>बहस के दौरान प्रार्थीगण द्वारा कथन कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात साबिक रेकार्ड में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 के पूर्वज के नाम पर दर्ज थी, जिस पर प्रार्थीगण का अनवरत् काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 के पिता व पति रामा पिता गंगाराम गुर्जर के नाम पर दर्ज थी। रामा गुर्जर की मृत्यूपरान्त विरारत से विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम नामान्तरण खुल गया जबकि वादीगण 1/5, 1/5 हक हिस्सा निहित होकर प्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। यदि भविष्य में विपक्षी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात भूमि का विक्रय, अन्तरण, हस्तान्तरण, रहन, बक्षीस आदि करते हैं, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षती होगी एवं वाद व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का कोई ओचित्य ही नहीं रह जावेगा। अतः प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी को रेकार्ड एवं मौके कि यथास्थिती बनाये रखने बाबत पांबद किये जाना फरमावें।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि यदि विपक्षी द्वारा प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजीयात का अन्तरण कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से प्रार्थीगण के हक प्रभावित होंगे। इसके अतिरिक्त सुविधा व संतुलन की दृष्टी को मध्यनजर रखते हुए भी प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष प्रथमदृष्टया बनता है।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है की प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित आराजीयात में सें ग्राम जासोरिया पटवार हल्का कासोरिया भू0अ0निरीक्षक डाबला तह. बनेडा जिला भीलवाडा में स्थित खतौनी संख्या 127 आराजी सख्यां 1536/140 रकबा 04-04 बीघा में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिती बनाये रखने हेतु विपक्षीगण संख्या 01 लगायत 03 को अस्थायी निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पांबद किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैशल शुमार हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी रहे।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा</p>	